(वाद सं0–6937/2017)

18.04.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा संस्थित फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 दिनांक–15.08.2017 तथा परिवादी के विरूद्ध, परिवादी के विरोधी एक आरक्षी, राकेश सिंह उर्फ राकेश कुमार, के पिता द्वारा संस्थित फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–500/17 दिनांक–15.08.2017 के अनुसंधान से संबंधित है।

परिवादी के अनुसार उसके द्वारा पटना जिला बल के एक आरक्षी, राकेश सिंह उर्फ राकेश कुमार, के विरूद्ध फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 संस्थित किया गया था जिसकी जानकारी होने पर उक्त आरक्षी द्वारा अपने पिता, देवकुमार सिंह, के माध्यम से मिथ्या आधार पर परिवादी व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–500/17 संस्थित करवा दिया गया। पुलिस द्वारा फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, राकेश सिंह, के विरूद्ध भा0द0स0 की जमानतीय धाराओं–341/323/504/506/ के अन्तर्गत उसकी संलिप्तता को सत्य पाया गया जबकि भा0द0स0 की धारा 307 के अन्तर्गत भी उसकी संलिप्तता को सत्य पाया जाना चाहिए था, क्योंकि परिवादी के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार उसे उक्त आरक्षी द्वारा कड़े व भोथड़े हथियार से कारित उसके जख्मों के वैज्ञानिक परीक्षण के उपरान्त उन जख्मों को गंभीर प्रकृति का जख्म पाया गया है।

दूसरी तरफ परिवादी के विरूद्ध संस्थित फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–500/17 को अनुसंधान में असत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने तथा उक्त कांड के सूचक (आरक्षी राकेश सिंह उर्फ राकेश कुमार के पिता) के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं–182/211 के अन्तर्गत परिवाद–पत्र न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया गया। परिवादी द्वारा फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 तथा 500/17 के अनुसंधान से असंतुष्ट होने पर उसके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में उपरोक्त दोनों कांडों के निष्पक्ष अनुसंधान हेतु अनुरोध किया गया। राज्य आयोग के निर्देश पर

दोनों कांडों का पुर्नअनुसंधान किया गया तथा पुर्नअनुसंधान में फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 के अन्तर्गत आरक्षी, राकेश कुमार सहित 05 (पाँच) नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं–147/148/149/323/307/504/506 के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया। जबकि पूर्व में पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन कांड में 05 (पाँच) नामांकित अभियुक्तों में से एकमात्र नामांकित अभियुक्त आरक्षी राकेश सिंह के विरूद्ध जमानतीय धाराओं के अन्तर्गत ही आरोप–पत्र समर्पित किया गया था।

दिनांक–25.10.2021 को राज्य आयोग द्वारा फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 के पुर्नअनुसंधान के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। उपरोक्त के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निात नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के प्रतिवेदनानुसार पुर्नअनुसंधान में पुलिस द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के आदेश के आलोक में फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–499/17 में घटना को असत्य पाकर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है जबकि फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–500/17 के अन्तर्गत अंतिम प्रतिवेदन असंज्ञेय समर्पित कर उपरोक्त कांड के सूचक के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 181/211 के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने हेतु न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में पुलिस प्रतिवेदन का पुनः परिवाद किया गया।

प्रसंगाधीन मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि दोनों कांडों में पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरांत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है तथा दोनों मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

अब जबकि प्रसंगाधीन दोनों कांड अनुसंधानोंपरांत सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित

नहीं होता है। परिवादी अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक